

प्रारंभिक परीक्षा


म्यांमार में आए भीषण भूकंप का क्या कारण था?

संदर्भ

हाल ही में म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे देश में भारी तबाही हुई।

भूकंप का कारण क्या था?

- **विवर्तनिक प्लेट की हलचल:**
 - पृथ्वी का स्थलमंडल टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो अरबों वर्षों से गतिमान हैं। इनके परस्पर संपर्क से भूकंप और अन्य भूवैज्ञानिक विशेषताएं उत्पन्न होती हैं।
 - म्यांमार में भूकंप "स्ट्राइक-स्लिप फॉल्टिंग" के कारण आया, जो तब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे के विरुद्ध रगड़ती हैं।
- **सागाइंग फॉल्ट:**
 - यह 1,200 किलोमीटर लंबी फॉल्ट लाइन है, जो उत्तर से दक्षिण तक मांडले और यंगून से होकर गुजरती है।
 - इस रेखा के किनारे के इलाके देश के सबसे ज्यादा भूकंप-प्रवण इलाकों में से एक हैं।



यह भूकंप इतना शक्तिशाली क्यों था?

- **तीव्रता:** 7.7, जो इसे पिछले दो वर्षों में दुनिया भर में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक बनाता है।
- **उथली गहराई:** 10 किमी, जिसका अर्थ है कि भूकंपीय ऊर्जा सतह तक पहुँचने से पहले ज्यादा नष्ट नहीं हुई, जिससे अधिक नुकसान हुआ।
- **फॉल्ट लाइन:** सागाइंग फॉल्ट पर स्थित है, जो अत्यधिक सक्रिय है और इससे बड़े भूकंप आने की संभावना होती है।

स्रोत:

[Indian Express - Myanmar Earthquake](#)

समाचार संक्षेप में

ग्रीन ग्रैबिंग (Green Grabbing)

- ग्रीन ग्रैबिंग पर्यावरण संरक्षण या धारणीयता परियोजनाओं के बहाने भूमि और संसाधनों का विनियोजन है।
- यह अक्सर स्वदेशी समुदायों, छोटे किसानों और हाशिए पर पड़े समूहों को विस्थापित करता है।
- यह शब्द "लैंड ग्रैबिंग" के समान है, लेकिन जलवायु कार्रवाई, संरक्षण या नवीकरणीय ऊर्जा विकास के दावों के माध्यम से इसे उचित ठहराया जाता है।

स्रोत:

- [Down to Earth - Green Grabbing](#)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- KVIC केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना 1956 में खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 के तहत ग्रामीण भारत में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने, विकसित करने और विनियमित करने के लिए की गई थी।



कामये दुरवतमानाम्।
प्राणिनाम् अतिनाशनम्॥

- KVIC की प्रमुख पहल:

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- खादी विकास योजना: खादी क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना, कारीगरों के लिए उच्च मजदूरी सुनिश्चित करना।
- शहद मिशन: किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए आय के स्रोत के रूप में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना।
- RE-HAB" (रिड्यूज एलीफेंट-ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बी) प्रोजेक्ट: हाथी गलियारों के किनारे बाड़ के रूप में मधुमक्खी के बक्सों का उपयोग करके हाथियों के हमलों को रोकना।

स्रोत:

- [PIB - Khadi and Village Industries Commission](#)

स्माइल (SMILE) कार्यक्रम

- SMILE का तात्पर्य मल्टीमॉडल और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करना है।
- इसे भारत के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह पहल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है।
- इसे एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
- नोडल मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग - DPIIT)।

स्रोत:

- [PIB - SMILE Program](#)

युवा (YuWaah) पहल

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) YuWaah ने भारत भर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आशय पत्र (SOI) पर हस्ताक्षर किए हैं।

YUWAAH के बारे में

- YuWaah (जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया) यूनिसेफ के नेतृत्व में 2019 में शुरू की गई एक बहु-हितधारक वैश्विक पहल है।
- इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल, रोजगार के अवसरों और नागरिक जुड़ाव मंचों के साथ सशक्त बनाना है।
- YuWaah भारत के युवाओं के लिए एक समावेशी और उत्पादक भविष्य बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों, नागरिक समाज संगठनों और युवा नेटवर्क के साथ सहयोग करता है।
- **YuWaah युवा मंच:** करियर परामर्श, प्रशिक्षण और नौकरी मैचिंग के लिए एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म।

स्रोत:

- [PIB - YuWaah Initiative](#)

इंद्र (INDRA) 2025

- यह **भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास** है।
- इसकी शुरुआत **2003** में हुई थी। यह इसका **14वां** संस्करण है।
- यह समुद्री सहयोग बढ़ाने और सर्वोत्तम परिचालन अभ्यासों के आदान-प्रदान पर केंद्रित है।

स्रोत:

- [PIB - INDRA](#)

तीस्ता नदी

- **उद्गम:** तिब्बत की सीमा के पास **सिक्किम हिमालय में त्सो ल्हामो झील** से निकलती है।
- यह **सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा** बनाती है।
- यह पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों से गुजरती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ यह ब्रह्मपुत्र नदी (बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है) में मिल जाती है।
- **सहायक नदियाँ:**
 - **बाएँ तट की सहायक:** लाचुंग छू, चाकुंग छू, डिक छू, रानी खोला, रंगपो छू।
 - **दाएँ तट की सहायक:** ज़ेमु छू, रंगयोंग छू, रंगित नदी।
- सिक्किम में खड़ी ढलानों से होकर बहने वाली अपनी तीव्र धारा के कारण यह जलविद्युत परियोजनाओं के लिए संभावित स्रोत है।

भारत और बांग्लादेश के बीच जल-साझाकरण विवाद

- तीस्ता जल-साझाकरण पर कोई आधिकारिक संधि मौजूद नहीं है।
- **2011 में प्रस्तावित अंतरिम समझौता:** भारत बांग्लादेश को **तीस्ता का 37.5% पानी** देने पर सहमत हुआ, जबकि भारत 42.5% पानी अपने पास रखेगा (शेष पानी पारिस्थितिक प्रवाह के लिए था)।
- **पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के कारण इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।**
- भारत की अनिच्छा के कारण, बांग्लादेश ने "तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना" में चीनी निवेश की सराहना की है।

स्रोत:

- [The Hindu - Teesta](#)

संपादकीय सारांश

GST सुधारों पर PAC की सिफारिशें

संदर्भ

संसद की लोक लेखा समिति(PAC) की 19वीं रिपोर्ट में, वस्तु एवं सेवा कर(GST) व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी

- रिपोर्ट में GST ढांचे में विशेष रूप से राजस्व संग्रह, राज्य क्षतिपूर्ति एवं लेखा परीक्षा अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण संरचनात्मक तथा परिचालन संबंधी कमियों पर प्रकाश डाला गया है।

PAC के संदर्भ में -

- उत्पत्ति:** इसकी स्थापना 1921 में, भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के आधार पर की गई थी।
 - यह भारत की सबसे पुरानी संसदीय समितियों में से एक है।
- संरचना:** 22 सदस्य (15 लोकसभा से + 7 राज्यसभा से)।
- चुनाव पद्धति:** समिति के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है।
- अध्यक्ष:** लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है।
 - 1967 से संसदीय परंपरा रही है कि, अध्यक्ष की नियुक्ति विपक्षी दल से की जाती है।
 - वर्तमान अध्यक्ष:** के. सी. वेणुगोपाल
- कार्यकाल:** 1 वर्ष (अध्यक्ष एवं सदस्य)
- महत्व:** लोगों के प्रति कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं सरकार के कार्यों पर संसदीय निगरानी लागू करने के लिए आवश्यक।

PAC की क्या भूमिकाएँ हैं?

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG) द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करना तथा उसके निष्कर्ष संसद में प्रस्तुत करना।
- विनियोग खातों एवं वित्त खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करके, सार्वजनिक वित्त पर एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए विनियोग खातों की जांच करना कि:
 - निधियाँ कानूनी रूप से उपलब्ध थीं।
 - किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके उपयोग को स्वीकृति दी गई थी।
 - प्रक्रियाओं तथा नियमों का उचित रूप से पालन किया गया था।

नोट:

- PAC**, संसद के चयनित सदस्यों की तीन वित्तीय समितियों में से एक है।
 - अन्य दो समितियाँ हैं- प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति (CoPU)।
- PAC** उन सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट की जांच नहीं करती है, जो सार्वजनिक उपक्रम समिति को आवंटित की जाती हैं।

PAC की सीमाएँ -

- प्रवर्तन तंत्र का अभाव:** यद्यपि PAC सार्वजनिक व्यय में अनियमितताओं की पहचान करती है, किन्तु सुधारात्मक कार्रवाई लागू करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

- **कार्योत्तर जांच: PAC** सरकारी व्यय की समीक्षा तभी करती है, जब वह व्यय हो चुका होता है, जिससे अकुशलताओं को रोकने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **सिफारिशों की सलाहकार प्रकृति: PAC** की सिफारिशें सलाहकार होती हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, जिससे तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई पर इसका प्रभाव कम हो जाता है।
- **नीति की जांच करने का कोई अधिदेश नहीं: PAC** के पास व्यापक अर्थों में सरकारी नीतियों की जांच करने का अधिकार नहीं होता है तथा इसकी भूमिका वित्तीय मामलों की समीक्षा तक ही सीमित होती है।

GST पर लोक लेखा समिति (PAC) की 19वीं रिपोर्ट -

- **अप्रत्यक्ष कर राजस्व में गिरावट: PAC** ने वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2020 (GST कार्यान्वयन के पहले दो वर्ष) के मध्य अप्रत्यक्ष कर राजस्व में लगभग 2% की गिरावट को रेखांकित किया है।
 - यह गिरावट COVID-19 महामारी से पहले हुई थी तथा यह GST व्यवस्था के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को दर्शाती है।
- **मुआवजा निधि और विलंबित भुगतान: GST** (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 ने GST के कारण राज्यों के राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए एक मुआवजा कोष के निर्माण को अनिवार्य किया।
 - राज्यों को वित्त वर्ष 2016 को आधार वर्ष मानते हुए, पांच वर्षों (2017-22) के लिए 14% वार्षिक राजस्व वृद्धि का वादा किया गया था।
 - यद्यपि, रिपोर्ट में कहा गया है:
 - कई राज्यों ने मुआवजा न प्राप्त होने या विलंब से प्राप्त होने की सूचना दी है।
 - इससे राज्य-स्तरीय प्रशासन एवं राजकोषीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **केंद्र द्वारा ऑडिट और प्रमाणन का अनुपालन न करना: PAC** ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि- केंद्र निम्न में विफल रहा है:
 - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को मुआवजा निधि खाता प्रस्तुत करना।
 - राज्यों को समय पर प्रमाणन एवं मुआवजा जारी करना सुनिश्चित करना।
 - इसने GST व्यवस्था की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है, जिसे एकीकृत किन्तु संघीय कर संरचना के रूप में डिजाइन किया गया था।
- **विनिर्माण-प्रधान राज्यों पर प्रभाव: गंतव्य-आधारित कर के रूप में GST**, उत्पादन के स्थान पर उपभोग के बिंदु पर लगाया जाता है।
 - इससे विनिर्माण-प्रधान राज्यों के लिए अप्रत्यक्ष कर संग्रह में तीव्र गिरावट आई है, जिससे उनकी राजकोषीय स्वायत्तता कम हो गई है।
 - प्रमुख राजस्व-उत्पादक राज्यों ने लंबे समय से GST की केंद्रीकृत प्रवृत्तियों के संदर्भ में चिंता व्यक्त की है।
- **लेखापरीक्षा अनियमितताएं एवं निगरानी का अभाव: PAC** ने वित्त मंत्रालय की लेखापरीक्षा पद्धतियों में गंभीर खामियों को चिन्हित किया:
 - 10,667 मामलों के नमूने से 2,447 विसंगतियां सामने आईं, जिनकी राशि 32,577.73 करोड़ रुपये थी।
 - वित्त मंत्रालय के लेखापरीक्षा दृष्टिकोण की "असुविधाजनक" कहकर आलोचना की गई।

PAC द्वारा सिफारिशें -


PAC ने कई सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित किए:

- **CAG के साथ औपचारिक तंत्र:** मुआवजा निधि के नियमित लेखा परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए एक संरचित तंत्र स्थापित करना।
- **लंबित मामलों का समय पर समाधान:** अनसुलझे लेखापरीक्षा मामलों पर अद्यतन जानकारी एवं कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- **"GST 2.0" का विकास:** संरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए GST व्यवस्था की व्यापक समीक्षा।
 - राज्य GST राजस्व में अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं- 70%-80% के लगभग (वर्तमान 50%)।

निष्कर्ष

PAC की रिपोर्ट में राज्यों को मुआवजा देने में विलंब को दूर करने, लेखा परीक्षा प्रथाओं को मजबूत करने एवं केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजकोषीय संतुलन पुनर्स्थापित करने के लिए, **GST** ढांचे में व्यवस्थित परिवर्तन की मांग की गई है। प्रस्तावित "**GST 2.0**" से इन संरचनात्मक मुद्दों का समाधान होने तथा राज्य-स्तरीय राजकोषीय स्वायत्तता में सुधार होने की उम्मीद है।

स्रोत: [The Hindu: Equitable Distribution](#)



अफ्रीका के परमाणु ऊर्जा बाज़ार की दौड़ में चीन को लाभ

संदर्भ

परमाणु ऊर्जा विकसित करने में रुचि रखने वाले अफ्रीकी देशों के लिए, चीन एक आकर्षक साझेदार के रूप में उभरा है।

अफ्रीका की परमाणु ऊर्जा की स्थिति -

- **वर्तमान क्षमता:**
 - अफ्रीका में वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में कोएबर्ग परमाणु ऊर्जा स्टेशन नामक केवल एक परिचालन परमाणु संयंत्र है, जो एक फ्रांसीसी संघ द्वारा निर्मित है।
 - विशाल अप्रयुक्त क्षमता होने के बावजूद, अफ्रीका का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है।
- **अनुमानित विकास:**
 - अफ्रीका द्वारा 2035 तक, 15,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है।
 - यह 105 बिलियन डॉलर के प्रमुख निवेश अवसर का प्रतिनिधित्व करता है।
 - घाना, नाइजीरिया, सूडान, रवांडा, केन्या और जाम्बिया जैसे देशों ने विद्युत् की पहुँच को बढ़ाने के लिए, परमाणु ऊर्जा विकसित करने की योजना की घोषणा की है।

परमाणु ऊर्जा के लिए अन्य देश अफ्रीका के साथ किस प्रकार साझेदारी कर रहे हैं:

- **फ्रांस:** ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका के परमाणु बाजार पर प्रभावी रहा है, विशेषकर **फ्रैंकोफोन अफ्रीका** में।
 - हालांकि, अन्य वैश्विक शक्तियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण फ्रांस का प्रभाव कम हो रहा है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका: 2023** से, अमेरिका अमेरिका-अफ्रीका परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन (**USANES**) का आयोजन कर रहा है।
 - भविष्य की भागीदारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अधीन नीति दिशा पर निर्भर करती है।
 - घाना पहले ही छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (**SMRs**) के लिए **NuScale Power** और **Regnum Technology Group** जैसी अमेरिकी-आधारित कंपनियों के साथ साझेदारी कर चुका है।
- **रूस:** रूस का रोसाटॉम जुलाई 2022 से मिस्र के एल डाबा में एक परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहा है (हालांकि प्रगति धीमी रही है)।
 - रूस ने मिस्र, माली, बुर्किना फासो और बुरुंडी के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
 - हालांकि, यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों के कारण रूस की आर्थिक चुनौतियाँ अफ्रीका में बड़े पैमाने पर परमाणु परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की उसकी क्षमता को सीमित कर सकती हैं।
- **दक्षिण कोरिया:** दक्षिण कोरिया की कोरिया हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर (**KHNP**) ने अफ्रीका के परमाणु बाजार में रुचि दिखाई है।
 - हालांकि, चीन और रूस की तुलना में इसकी भागीदारी सीमित है।

अफ्रीका के परमाणु बाजार में चीन किस प्रकार आगे है:

- **शुरुआती रणनीतिक कदम:** चीन की भागीदारी 2012 में अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई छात्रों के लिए परमाणु ऊर्जा में छात्रवृत्ति कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसे चीन परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (**IAEA**) द्वारा प्रायोजित किया गया था।
 - इससे अफ्रीकी पेशेवरों को चीनी परमाणु प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित करने में मदद मिली।
- **विस्तार को आगे बढ़ा रही सरकारी कंपनियाँ:** दो प्रमुख सरकारी कंपनियाँ अफ्रीका में चीन के परमाणु विस्तार का नेतृत्व कर रही हैं:
 - चाइना जनरल न्यूक्लियर पावर ग्रुप (**CGN**)

- चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन (CNNC)
- **हाल के समझौते: 2024 में, चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) में:**
 - **नाइजीरिया** ने परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
 - **युगांडा** ने 2 गीगावाट परमाणु संयंत्र बनाने के लिए चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (1 गीगावाट की पहली इकाई 2031 तक चालू होने की उम्मीद है)।
 - **केन्या** की योजना 2030 तक एक शोध रिएक्टर बनाने की है, लेकिन अभी तक उसने अपने साझेदार की पुष्टि नहीं की है।
 - **घाना** ने एक बड़े रिएक्टर (LR) के निर्माण के लिए चीन राष्ट्रीय परमाणु निगम के साथ भागीदारी की है।
- **रूस समर्थक अफ्रीकी राज्य चीन की ओर झुक रहे हैं: बुर्किना फासो, नाइजर और माली** की जुंटा के नेतृत्व वाली सरकारों ने शुरू में परमाणु क्षमता के लिए **रूस के रोसाटॉम** से संपर्क किया था।
 - हालांकि, रूस की वित्तीय बाधाओं को देखते हुए, ये देश **चीनी वित्तपोषण** और विशेषज्ञता पर अधिक निर्भर हो सकते हैं।
- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):** चीन की परमाणु संयंत्र बनाने और विद्युत वितरित करने के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाने की क्षमता उसे रणनीतिक लाभ प्रदान करती है।
 - अफ्रीकी देश परमाणु अवसंरचना विकास का समर्थन करने के लिए **BRI** से जुड़े वित्तपोषण की ओर रुख कर सकते हैं।

भारत पर प्रभाव -

- **भारत की परमाणु उत्पादन क्षमता: 30 जनवरी, 2025 तक** भारत की परमाणु उत्पादन क्षमता 8,180 मेगावाट है।
 - भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना है।
- **अफ्रीकी यूरेनियम पर निर्भरता:** भारत की परमाणु ईंधन आपूर्ति के लिए अफ्रीका महत्वपूर्ण है:
 - 2009 में, भारत ने **नामीबिया** के साथ एक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
 - भारत **नाइजर और नामीबिया** में यूरेनियम खनन परियोजनाओं को विकसित करने की भी योजना बना रहा है।
- **चीन के प्रभुत्व से चुनौती:** अफ्रीका के परमाणु क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के साथ, भारत के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति हासिल करना अधिक कठिन हो सकता है।
 - चीन की बढ़ती भागीदारी भारत की परमाणु ईंधन रणनीति और समग्र ऊर्जा सुरक्षा के लिए भू-राजनीतिक बाधाएँ पैदा कर सकती है।
- **संभावित कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन:** चीन के प्रभुत्व का सामना करने के लिए, भारत को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है:
 - ऊर्जा साझेदारी के माध्यम से अफ्रीकी देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना।
 - यूरेनियम सोर्सिंग से परे अफ्रीकी देशों के साथ भारत के परमाणु सहयोग ढांचे को बढ़ाना।

निष्कर्ष

अफ्रीका का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र तेजी से विकास के लिए तैयार है, जिसकी अनुमानित क्षमता 2035 तक 15,000 मेगावाट और 105 बिलियन डॉलर का निवेश अवसर है। चीन वर्तमान में अपनी राज्य समर्थित कंपनियों का लाभ उठाकर और **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव** के तहत वित्तपोषण करके इस दौड़ में सबसे आगे है। **अमेरिका, रूस, फ्रांस और दक्षिण कोरिया** जैसे अन्य प्रमुख प्रतिभागी प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, किंतु वित्तीय या रणनीतिक सीमाओं का सामना कर रहे हैं। भारत के लिए, अफ्रीकी यूरेनियम को सुरक्षित करना अपने परमाणु ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा, किंतु बढ़ता चीनी प्रभुत्व इन प्रयासों को जटिल बना सकता है।

स्रोत: [The Hindu: Advantage China in Africa's nuclear energy market race](#)

कश्मीर में अलगाववादी राजनीति में गिरावट: कारण

संदर्भ

दशकों से कश्मीर पर हावी रही अलगाववादी राजनीति केंद्र सरकार के आक्रामक रुख के चलते कमजोर पड़ती दिख रही है।

कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन में गिरावट के संकेत देने वाले रुझान -

- **अलगाववादी विचारधारा से औपचारिक अलगाव:** जेएंडके पीपुल्स मूवमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, जेएंडके तहरीक इस्तेकलाल, तहरीक-ए-इस्तिकामत और जेएंडके साल्वेशन मूवमेंट जैसे कई अलगाववादी संगठनों के सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से अलगाववादी राजनीति से बाहर निकलने की घोषणा की है।
 - यहां तक कि दूसरे दर्जे के अलगाववादी नेता और छोटे समूह भी अब अलगाववाद का परित्याग कर रहे हैं, जो राजनीतिक भावना में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।
- **प्रमुख अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध: 2019** से, गृह मंत्रालय ने प्रमुख अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें शामिल हैं:
 - जमात-ए-इस्लामी
 - जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ)
 - अवामी एक्शन कमेटी (मीरवाइज उमर फारूक)
 - इत्तिहादुल मुस्लिमीन (मोहम्मद अब्बास अंसारी)
 - डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (शब्बीर शाह)
 - हुरियत कांफ्रेंस, जो कभी 20 से अधिक संगठनों का एक प्रभावशाली गठबंधन था, अब काफी हद तक निष्क्रिय हो चुका है, तथा इसके अधिकांश शीर्ष नेता जेल में हैं या उन्हें दरकिनार कर दिया गया है।
- **कश्मीर की राजनीति में पाकिस्तान का कम होता प्रभाव:** पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता ने कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को समर्थन देने की उसकी क्षमता को कमजोर कर दिया है।
 - हाल के वर्षों में सीमा पार से घुसपैठ और उग्रवाद के लिए सैन्य सहायता में कमी देखी गई है।
- **शहरी से गुरिल्ला शैली के युद्ध में बदलाव:** उग्रवाद ग्रामीण और वन-आधारित संघर्ष में बदल गया है, जो यह संकेत देता है कि अलगाववादी शहरी केंद्रों पर अपनी पकड़ खो रहे हैं।
 - उन्नत निगरानी, संचार प्रौद्योगिकियों और भू-भाग-मानचित्रण उपकरणों ने उग्रवाद को हाशिये पर धकेल दिया है।

अलगाववादी आंदोलन के पतन के पीछे कारण -

- **अनुच्छेद 370 का निरसन (2019):** जम्मू और कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति को हटाने से यह क्षेत्र भारतीय संघ के साथ और अधिक निकटता से जुड़ गया।
 - केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन से नई दिल्ली को अधिक प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त हुआ।
- **भारी सुरक्षा मौजूदगी:** कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और अशांति को नियंत्रित करने में मदद मिली है।
- **अलगाववादी समूहों और नेतृत्व पर कार्रवाई:** शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी और अलगाववादी समूहों पर प्रतिबंध लगाने से अलगाववादी आंदोलन का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो गया।
 - प्रवर्तन कार्रवाइयों और प्रतिबंधों के माध्यम से अलगाववाद को समर्थन देने वाले वित्तीय चैनलों को बाधित किया गया।
- **केंद्र सरकार का आक्रामक दृष्टिकोण:** सरकार ने अलगाववाद और उग्रवाद के प्रति कोई समझौता न करने की नीति अपनाई।

- अलगाववादियों के साथ राजनीतिक जुड़ाव, जो पिछली सरकारों के दौरान देखा गया था, 2014 के बाद पूरी तरह से बंद हो गया।
- **पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय अलगाव:** पाकिस्तान की कूटनीतिक असफलताओं और आर्थिक चुनौतियों ने कश्मीर में उग्रवाद को समर्थन देने की उसकी क्षमता को कम कर दिया।
 - वैश्विक आतंकवाद-रोधी उपायों ने पाकिस्तान पर कश्मीर में अपनी भागीदारी कम करने का दबाव डाला है।
- **आकांक्षात्मक राजनीति और विकास की कहानी का उदय:** केंद्र सरकार ने कश्मीर में शांति, समृद्धि और एकीकरण की एक नई कहानी को बढ़ावा दिया है।
 - बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान देने से युवाओं के लिए वैकल्पिक अवसर पैदा हुए।
 - सरकार समर्थित निवेश और पर्यटन पुनरुद्धार प्रयासों ने आर्थिक स्थिरता में योगदान दिया।
- **जनता में थकान और घटता लोकप्रिय समर्थन:** दशकों से चली आ रही हिंसा और अस्थिरता के कारण अलगाववादी राजनीति से जनता में थकान बढ़ती जा रही है।
 - स्थानीय आबादी राजनीतिक संघर्ष की अपेक्षा शांति और आर्थिक अवसरों की अधिक तलाश कर रही है।

स्रोत: [The Hindu: Valley and Hills](#)



कपास उत्पादन में गिरावट

संदर्भ

बीटी कपास अपनाने के साथ भारत का कपास उत्पादन चरम पर था (2002-2014), लेकिन हाल के वर्षों में इसमें गिरावट आई है।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -

- कपास का आयात 518.4 मिलियन डॉलर (2023-24) से बढ़कर 1,040.4 मिलियन डॉलर (2024-25) हो गया।
- कपास का निर्यात 729.4 मिलियन डॉलर (2023-24) से घटकर 660.5 मिलियन डॉलर (2024-25) हो गया।
- भारत अब अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र से कपास के आयात पर निर्भर है।

भारत में कपास उत्पादन की पृष्ठभूमि -

- **2002 से पूर्व की अवधि:**
 - भारत कम उत्पादकता वाला कपास का शुद्ध आयातक था।
 - कपास का उत्पादन पारंपरिक हाइब्रिड किस्मों पर निर्भर था जैसे:
 - एच-4 (पहला हाइब्रिड, 1970)
 - वरलक्ष्मी (प्रथम अंतर-विशिष्ट हाइब्रिड, 1972)
 - एलएसएस (लाभ सिंह चयन) (1933)
- **2002-2014: बीटी कॉटन के कारण कपास में उछाल**
 - **2002-03 में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) बीटी कपास हाइब्रिड की शुरुआत ने उत्पादन को बदल दिया।**
 - बोलगार्ड-II तकनीक (2006) ने कई कीटों (अमेरिकी बॉलवर्म, कपास लीफवर्म) से सुरक्षा प्रदान करके उपज को और बढ़ाया।
 - कपास उत्पादन 13.6 मिलियन गांठ (2002-03) से तीन गुना बढ़कर 39.8 मिलियन गांठ (2013-14) हो गया।
 - लिंट की पैदावार 127 किलोग्राम/हेक्टेयर (1970-71) से बढ़कर 566 किलोग्राम/हेक्टेयर (2013-14) हो गई।
 - **भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक (2015-16) और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक (2011-12) बन गया।**
- **2014 के बाद: उत्पादन में गिरावट**
 - पिछले पांच वर्षों में कपास उत्पादन औसतन **33.8 मिलियन गांठ तक गिर गया।**
 - **2024-25 में उत्पादन 29.5 मिलियन गांठ रहने का अनुमान है - जो 2008-09 के बाद सबसे कम है।**
 - लिंट की उपज **घटकर 450 किलोग्राम/हेक्टेयर से नीचे आ गई।**
 - आयात (3 मिलियन गांठें) अब निर्यात (1.7 मिलियन गांठें) से अधिक हो रहा है।

लिंट उपज का मतलब है बीज और अन्य अशुद्धियों को हटाने के बाद कटी हुई कपास से प्राप्त स्वच्छ, उपयोगी कपास फाइबर की मात्रा। इसे आमतौर पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर (किग्रा/हेक्टेयर) में मापा जाता है।

कपास उत्पादन में गिरावट के कारण -

- **जीएम फसलों पर नीतिगत गतिरोध:** बीटी कपास के सफल क्रियान्वयन के बाद, नई जीएम प्रौद्योगिकियों के लिए अनुमोदन रुका हुआ है।

- उदाहरण के लिए, 2006 में बोलगार्ड-II के बाद से कपास के लिए किसी भी नई जीएम तकनीक को मंजूरी नहीं दी गई है।
- **पिंक बॉलवर्म संक्रमण का उद्भव:** पिंक बॉलवर्म संक्रमण 2014 से मध्य-पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में उभरा और 2018 तक उत्तरी क्षेत्रों में फैल गया।
 - नए कीट-प्रतिरोधी जीएम हाइब्रिड की कमी से नुकसान और बढ़ गया।
- **विनियामक और न्यायिक बाधाएँ:** विनियामक निकायों ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अंतर्गत जीएम फसलों के क्षेत्र परीक्षणों को अवरुद्ध कर दिया।
 - अदालतों ने तकनीकी मामलों में हस्तक्षेप किया, जिससे नई प्रौद्योगिकी की मंजूरी में देरी हुई।
 - हाइब्रिड सरसों (दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित) को सफल परीक्षणों और सुरक्षा आंकड़ों के बावजूद अब तक मंजूरी नहीं मिली है।
- **उच्च उत्पादन लागत और घटती पैदावार:** बढ़ती इनपुट लागत और स्थिर पैदावार ने कपास की खेती को कम लाभदायक बना दिया है।
 - किसानों के पास कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल किस्मों तक पहुंच का अभाव है।
- **वैश्विक दबाव और व्यापार बाधाएँ:** अमेरिका और ब्राजील कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं।
 - 2021 में जीएम सोयामील और केक के आयात की अनुमति देने के भारत के निर्णय से जीएम मक्का और कपास के आयात की भी इसी प्रकार की मांग बढ़ सकती है।

क्या किया जाने की जरूरत है -

- **जीएम फसलों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना:** बोलगार्ड-III जैसी नई जीएम प्रौद्योगिकियों और स्वदेशी कीट-प्रतिरोधी किस्मों के अनुमोदन में तेजी लाना।
 - आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों और कपास हाइब्रिड के क्षेत्र परीक्षण की अनुमति दें।
- **कीट नियंत्रण उपायों को मजबूत करना:** एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) रणनीति विकसित करना।
 - कीट-प्रतिरोधी, उच्च उपज वाली कपास किस्मों के प्रजनन को प्रोत्साहित करें।
- **जीएम फसलों पर नीति स्पष्टता:** जीएम फसल अनुमोदन के लिए एक पारदर्शी, विज्ञान-आधारित नियामक ढांचा स्थापित करना।
 - वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं में राजनीतिक और कार्यकर्ता हस्तक्षेप को सीमित करें।
- **प्रौद्योगिकी और इनपुट के साथ किसानों को सहायता प्रदान करना:** उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और किफायती इनपुट तक पहुंच सुनिश्चित करना।
 - किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों और कीट नियंत्रण के बारे में शिक्षित करें।
- **घरेलू कपास को आयात प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रखना:** घरेलू उत्पादन की सुरक्षा के लिए रणनीतिक आयात शुल्क बनाए रखना।
 - अमेरिका और ब्राजील जैसे प्रमुख निर्यातकों के साथ व्यापार शर्तों पर बातचीत करना।
- **अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना:** जलवायु-अनुकूल और कीट-प्रतिरोधी कपास किस्मों के विकास के लिए कृषि अनुसंधान संस्थानों में निवेश करना।
 - कपास बीज अनुसंधान और उत्पादन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

स्रोत: [Indian Express: Losing the thread](#)

एआई साक्षरता(AI Literacy)

संदर्भ

भारत की भावी प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार के लिए एआई साक्षरता महत्वपूर्ण है, जो व्यक्तियों को एआई से जुड़ने और वैश्विक स्तर पर पीछे रहने से बचाने में सक्षम बनाती है।

एआई साक्षरता का महत्व -

- **आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता:** एआई साक्षरता व्यक्तियों को नवाचार में संलग्न होने और उसे आगे बढ़ाने के कौशल से लैस करती है, जिससे भारत को सिर्फ एक सेवा प्रदाता के बजाय एआई में वैश्विक नेता के रूप में स्थान मिलता है।
- **नौकरी की तत्परता:** एआई को समझने से रोजगार क्षमता बढ़ती है, कार्यबल को स्वचालन और उभरती नौकरी आवश्यकताओं के लिए तैयार किया जाता है।
- **सशक्त निर्णय-निर्माण:** एआई साक्षरता व्यक्तियों को एआई-जनित सामग्री का गंभीरता से आकलन करने, पूर्वाग्रहों को पहचानने और एआई उपकरणों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने में सक्षम बनाती है।
- **नवाचार और समस्या समाधान:** एआई साक्षरता रचनात्मकता और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए एआई-आधारित समाधान डिजाइन करने की क्षमता को बढ़ावा देती है, जिससे तकनीकी और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है।
- **समावेशी विकास:** व्यापक एआई साक्षरता यह सुनिश्चित करती है कि ग्रामीण और वंचित आबादी एआई क्रांति में पीछे न छूट जाए।
- **नैतिक और जिम्मेदार एआई उपयोग:** एआई के नैतिक निहितार्थों के बारे में लोगों को शिक्षित करने से दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है और निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

भारत में एआई साक्षरता की चुनौतियाँ -

- **शिक्षा में एकीकरण का अभाव:** एआई और कम्प्यूटेशनल सोच को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में व्यापक रूप से शामिल नहीं किया गया है।
 - **उदाहरण के लिए,** लगभग 66% भारतीय स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिससे शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण में बाधा आ रही है।
- **डिजिटल डिवाइड:** ग्रामीण और वंचित समुदायों की एआई शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच सीमित है।
 - **उदाहरण के लिए,** 13% की वृद्धि दर के बावजूद, ग्रामीण आबादी का केवल 31% हिस्सा ही इंटरनेट का उपयोग करता है, जबकि शहरी निवासियों में यह आंकड़ा 67% है।
- **कौशल अंतराल:** कार्यबल कौशल कार्यक्रम उद्योग-केंद्रित हैं और सभी व्यवसायों के लिए एआई साक्षरता को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक नहीं हैं।
- **नीतिगत और नियामक बाधाएँ:** राष्ट्रीय एआई साक्षरता रणनीति का अभाव और धीमी नीति प्रतिक्रिया एआई शिक्षा के विस्तार में बाधा डालती है।
- **सीमित सार्वजनिक जागरूकता:** दैनिक जीवन में एआई की भूमिका और नौकरियों, गोपनीयता और निर्णय लेने पर इसके प्रभाव के बारे में कम समझ।
- **अपर्याप्त अनुसंधान और निवेश:** एआई शिक्षा और अनुसंधान के लिए अपर्याप्त वित्त पोषण और संस्थागत समर्थन।

क्या किया जाने की जरूरत है -

- **राष्ट्रीय एआई साक्षरता पाठ्यक्रम:** कम्प्यूटेशनल सोच, समस्या समाधान और नैतिक एआई उपयोग सहित एक संरचित K-12 एआई साक्षरता कार्यक्रम विकसित करना।
- **एआई लैब्स और टिकरिंग स्पेसेस:** व्यावहारिक शिक्षण और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों में एआई लर्निंग हब स्थापित करना।

- **कार्यबल पुनः कौशलीकरण:** कृषि, स्वास्थ्य सेवा और अन्य प्रमुख उद्योगों को कवर करते हुए, आईटी क्षेत्र से परे एआई प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यापक बनाना।
- **जन जागरूकता अभियान:** एआई के प्रभाव के बारे में जनता को शिक्षित करना और उन्हें एआई उपकरणों के साथ गंभीरतापूर्वक जुड़ने के लिए सशक्त बनाना।
- **अनुसंधान और विकास में निवेश:** एआई अनुसंधान के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना तथा शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- **समानता और पहुंच सुनिश्चित करना:** व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक भिन्नताओं के अनुरूप एआई साक्षरता पहलों को डिजाइन करना।

स्रोत: [Indian Express: The New Reading And Writing](#)

